(राजीव शर्मा, जे.)

राजीव शर्मा **एवं** गुरविंदर सिंह गिल जे**.** जे**. के सम्मुख**

हरियाणा राज्य- अभियोजक

बनाम

उस्मान खान और अन्य प्रतिवादीगण

हत्या संदर्भ संख्या 4 आफ 2017

12 जुलाई, 2019

भारतीय दंड संहिता**, 1860-धाराऐ 120-**बी के साथ पठित **364-**ए**, 302,201,406-**अपीलार्थी उस्मान खान और पंकज कुमार पर **धाराऐ 120-**बी के साथ पठित **364-**ए**, 302,201,406 आई पी सी** के तहत **11 साल के बच्चे का अपहरण व हत्या क** अपराधों के लिए आरोप लगाया गया और मुकदमा चलाया गया। **--- अपीलार्थी को मौत की सजा सुनाई गई ----**'बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य' और 'सी**.** मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य' पर भरोसा करते हुए उच्च न्यायालय के समक्ष पुष्टि के लिए अपील और मौत का संदर्भ आया-आयोजित किया गया**,** जो दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम नहीं है जो मौत की सजा के योग्य **हो-**मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया गया।

यह अभिनिर्धारित करते हुए कि बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1980) 2 एस. सी. सी. 684 मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय के लॉर्डशिप्स ने स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया है कि मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प पूरी तरह से अपर्याप्त हो, और इसलिए निर्विवाद रूप से पूर्वनिर्धारित हो, अर्थात यदि यह एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष हो।बिगड़ती परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(पैरा 31)

आगे अभिनिर्धारित किया कि सी. मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य, (2010) 9 एस. सी. सी. 567 में माननीय उच्चतम न्यायालय के लार्डशिपस ने सजा और आनुपातिक विचारों के सामाजिक प्रभाव को निर्धारित किया है, जब दुर्लभ से दुर्लभ के सिद्धांत को लागू किया जाना है।उनके लॉर्डशिप्स ने आगे कहा है कि दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है यदि किसी समुदाय की "सामूहिक अंतरात्मा" इतनी हैरान है कि मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प है।"दुर्लभतम मामले" तब आते हैं जब दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा और खतरा होगा।

(पैरा 32)

आगे कहा कि हमारा विचार है कि यह मामला अपीलार्थियों को मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" के सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है। पैरा 36)

शुभ्रा सिंह, ए. ए. जी., हरियाणा।जे. एस. बेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता,

लवकीरत सिंह चहल और शिवंद मलिक, अधिवक्ता

अपीलार्थी विजय कुमार के लिए।

अर्शदीप सिंह चीमा, अधिवक्ता

अपीलार्थी उस्मान खान के लिए।

मोहन सिंह राणा, अधिवक्ता

अपीलार्थी पंकज कुमार के लिए।

राजीव शर्मा**,** जे**.**

(1) चूंकि हत्या संदर्भ संख्या 4, आफ 2017 सी. आर. ए.-डी.-235-डी. बी., सी. आर. ए.-डी.-246-डी. बी. और सी. आर. ए.-डी.-363-डी. बी. में कानून और तथ्यों के सामान्य प्रश्न शामिल हैं, इसलिए इन्हें एक साथ लिया जाता है और एक सामान्य/सयुंक्त निर्णय द्वारा निपटाया जाता है।

(2) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश फरीदाबाद द्वारा हत्या संदर्भ सं. 4 आफ 2017 पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार को दी गई मौत की सजा की पुष्टि के लिए सत्र मामला सं. 48 दिनांक 10.06.2013/ 17.05.2014 में दिए गए 24.01.2017 के फैसले और 30.01.2017 के आदेश के माध्यम से दिया गया है।

(3) आपराधिक अपील सं डी-235-डी. बी., डी-246-डी. बी. और डी-363-डी. बी. आफ 2017 को क्रमशः पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार ने उपरोक्त निर्णय दिनांक 24.01.2017 और आदेश दिनांक 30.01.2017 के खिलाफ प्राथमिकता दी है।

(4) अपीलार्थी पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार पर आई. पी. सी. की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 364-ए, 302,201,506 के तहत दंडनीय अपराधों का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। अपीलार्थी पंकज कुमार और उस्मान खान पर भी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध का आरोप लगाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। सभी अपीलार्थियों को आईपीसी की धारा 120-बी के साथ पठित धारा 364-ए, 302,201,506 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थी पंकज कुमार और उस्मान खान को भी शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत दंडनीय अपराध के लिए दोषी ठहराया गया था। अपीलार्थियों को निम्नानुसार सजा सुनाई गई थीः

अपीलार्थी का नाम	अधीन धारा	सजा
पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार	364-आई. पी. सी.	मृत्युदंड
पंकज कुमार, उस्मान	302 आईपीसी	मृत्युदंड

-

खान और विजय कुमार		
पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार	120-बी आई. पी. सी	मृत्युदंड
पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार	201 आईपीसी	सात साल की सश्रम कारावास और रुपये का जुर्माना। जुर्माने का भुगतान, एक महीने का कठोर कारावास।
पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार	506 आईपीसी	एक वर्ष का कठोर कारावास।
पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार	25 शस्त्र अधिनियम	एक वर्ष का कठोर कारावास।

(5) अभियोजन पक्ष का मामला, संक्षेप में, यह है कि 27.03.2013 को शिकायतकर्ता साहाबुद्दीन (पीडब्लू. 1) को मोबाइल नंबर 84453 26849 से उनके मोबाइल पर एक टेलीफोन कॉल आया। फोन करने वाले ने उनसे उनके बेटे राहुल से बात कराई।राहुल कह रहा था "पापा पापा"।फोन करने वाले ने उसे बताया कि उसका बेटा राहुल उसकी हिरासत में है और फिरौती के रूप में 15 लाख रुपये की मांग की।उसने राहुल को धमकी दी कि अगर मामला पुलिस को बताया गया तो वह उसे जान से मार देगा।साहाबुद्दीन ने अपने भाई नजीर (पीडब्लू 8) को टेलीफोन किया और उन्हें प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहा। उसने अपने बेटे के अपहरण के संबंध में पुलिस नियंत्रण कक्ष को भी फोन किया।नजीर का बयान Ex.PJ के माध्यम से दर्ज किया गया था। उसके अनुसार, वह सी ब्लॉक, एसजीएम, फरीदाबाद में साइकिल मरम्मत की दुकान चला रहा था।उनके भाई साहबउद्दीन के दो बेटे, 11 साल के राहुल और 5 साल के साकिर, उनकी दुकान के बाहर खेल रहे थे।वह किसी निजी काम से अपने घर गया था।लगभग 12:23 बजे सांय, सहाबुद्दीन ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया कि किसी ने उन्हें टेलीफोन किया था कि उनका बेटा राहुल उनकी हिरासत में है।फोन करने वाले ने 15 लाख रुपये की फिरौती मांगी। फोन करने वाले ने उसे राहुल से बात करने के लिए कहा। उन्होंने राहुल की तलाश की, लेकिन उसका पता नहीं चल सका।एफ. आई. आर. दर्ज की गई।घटना स्थल की स्थूल नक्शा तैयार किया गया था।राहुल के छोटे भाई साकिर का भी बयान दर्ज किया गया।उसने विजय को एक आरोपी के रूप में नामित किया।नजीर ने अपने पूरक बयान में उस्मान, पंकज और विजय को आरोपी बनाया है।साहाबुद्दीन ने एक सीडी तैयार की जिसमें फोन करने वाले के साथ उनकी बातचीत थी। 29.03.2013 को, यह पता चला कि आरोपी द्वारा उपयोग किया गया मोबाइल नंबर तन्नू इलेक्ट्रॉनिक्स, किनोनी, जिला मेरठ से सक्रिय था।पुलिस ने सिम बेचने वाली दुकान के मालिक से पूछताछ की। पुलिस ने जानकारी जुटाई कि आरोपी पंकज अपने मामा जगत पाल के नाम पर सिम का इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस बागपत चौक, प्रताप पुर मोड़, मेरठ पहुंची

कार पंजीकरण सं एचआर-51 एडी-7565 मेक एक्सेंट को खड़ा देखा गया।आरोपी उस्मान और पंकज कार की अगली सीटों पर बैठे थे।उन्होंने भागने की कोशिश की।उन पर हावी हो गए।उस्मान की जेब से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।कार और मोबाइल को कब्जे में ले लिया गया। उस्मान और पंकज ने खुलासा बयान दिए।उन्होंने खुलासा किया कि राहुल के शव को गैंग नहर से सटे झाड़ियों में फेंक दिया गया था।शव बरामद कर लिया गया है।मृतक की पहचान नजीर ने की थी। घटनास्थल से खून से लथपथ मिट्टी को उठाया गया।शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। दिनांक 30.03.2013 को, आरोपी उस्मान ने अपराध में इस्तेमाल चाकू को छिपाने के बारे में एक खुलासा बयान दिया।आरोपी पंकज ने खुलासा बयान दिया कि उसने एक पिस्तौल झाड़ियों के पास छिपा कर रखी थी।चाकू और देसी पिस्तौल 315 बोर आरोपी उस्मान और पंकज ने 31.03.2013 को बरामद करवाई।जाँच पूरी हो गई और सभी कोडल औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद चालान पेश किया ग या।

(6) अभियोजन पक्ष ने कई गवाहों से पूछताछ की।अभियुक्त से धारा 313 Cr.P.C के तहत भी पूछताछ की गई। उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले से इनकार कर दिया।उनके अनुसार, उन्हें गलत तरीके से फंसाया गया था।

(7) अपीलार्थियों को दोषी ठहराया गया और मौत की सजा सुनाई गई, जैसा कि ऊपर देखा गया है। इसलिए उनके द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ ये तीन अपीलें, और विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फरीदाबाद द्वारा मौत की सजा की पुष्टि के लिए मौत का संदर्भ प्रस्तुत किया गया।

(8) राज्य की ओर से पेश विद्वान वकील ने मौत की सजा की पुष्टि मांगी है।अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि अभियोजन पक्ष उसके मुवक्किल के खिलाफ अपना मामला साबित करने में विफल रहा है।

(9) हमने पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और निर्णय को पढ़ा है और बहुत सावधानी से रिकॉर्ड किया है।

(10) पीडब्लू. 3 डॉ. सतीश भास्कर ने बयान दिया कि उन्होंने 29.03.2013 को राहुल के शव का पोस्टमार्टम किया।मृत्यु का कारण पूर्व-शव परीक्षण चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.PC है।

(11) पीडब्लू. 1 साहबउद्दीन मृतक राहुल के पिता हैं।उन्होंने गवाही दी कि 27.03.2013 को, मोबाइल फोन नंबर 84453 26849 से एक टेलीफोन कॉल आया।उनसे उनके बेटे राहुल से फोन पर बात कराई गई।फोन करने वाले ने उसे बताया कि राहुल उसकी हिरासत में है।फोन करने वाले ने 15 लाख रुपये की मांग फिरौती के रूप में की। उसने धमकी दी कि अगर पुलिस को सूचना दी गई तो वह राहुल को मार देगा

फोन काट दिया गया था।उसने फिर से उसी मोबाइल पर फोन करने वाले से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन वह जुड़ा नहीं था।उन्होंने अपने छोटे भाई नजीर को फोन किया।उन्होंने अपने भाई नजीर से पूछा कि क्या राहुल घर पर हैं।नजीर ने उसे बताया कि राहुल घर पर मौजूद नहीं था।नजीर ने उसे बताया कि राहुल साइकिल मरम्मत कियोस्क के पास खेल रहा था।किसी ने उसका अपहरण कर लिया था।एफ़. आई. आर. दर्ज की गई।उसने 100 नंबर पर पुलिस को कॉल भी किया।उसे फिर से उसी नंबर से एक टेलीफोन कॉल आया जिसमें उसे धमकी दी गई कि चूंकि उसने पुलिस को इस मामले की सूचना दी है, इसलिए उसे सबक सिखाया जाएगा।यह बातचीत उनके फोन में रिकॉर्ड हो गई।वह अपने घर आया।उन्होंने 15 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए अपनी अक्षमता दिखाई थी।उसने फोन करने वाले से कहा कि वह केवल Rs.50,000/- की व्यवस्था कर सकता है।उसे 28.03.2013 तक 10 लाख रुपये की व्यवस्था करने की धमकी दी गई थी। उन्हें फिर से 28.03.2013 का एक टेलीफोन कॉल आया कि क्या उन्होंने 10 लाख रुपये की व्यवस्था की है। उसने जवाब दिया कि गरीब होने के कारण वह पैसे की व्यवस्था नहीं कर सकता ।उन्हें दोपहर 2:30 बजे तक का समय दिया गया था। इसके बाद उनका कोई फोन नहीं आया।पुलिस ने आरोपी के ठिकाने का पता लगा लिया है।आरोपी उस्मान और पंकज को पुलिस ने 28.03.2013 को उनकी उपस्थिति में गिरफ्तार कर लिया।उन्होंने अदालत में आरोपी की पहचान की।आरोपी उस्मान और पंकज ने कबूल किया कि उन्होंने राहुल की हत्या की और गैंग नहर किनारे के पास की झाड़ियों से शव बरामद कराया।उन्होंने यह भी खुलासा किया कि एक विजय बिहारी ने भी अपराध में भाग लिया था।शव को 29.03.2013 को अस्पताल ले जाया गया।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उसने ब्यान किया कि उनका बेटा डीप पब्लिक हाई स्कूल में 5 वीं कक्षा में पढ़ रहा था।उसे आरोपी से 27.03.2013 से 28.03.2013 तक 6-7 कॉल आए थे।गिरफ्तार किए जाने के बाद अभियुक्तों को पकड़ लिया गया और थाने में उनसे पूछताछ की गई।

(12) पी. डब्ल्यू. 2 साकिर हालांकि नाबालिग थे, लेकिन प्रश्नों की प्रकृति को समझने की उनकी क्षमता का पता निचली अदालत द्वारा लगाया गया था।उन्होंने अदालत में मौजूद आरोपी की पहचान की।उन्होंने गवाही दी कि दो आरोपी सिल्वर रंग की कार में बैठे थे और एक आरोपी विजय बिहारी ने उसके भाई राहुल को पकड़ लिया और उसे जबरन कार के अंदर ले गया।इसके बाद वे राहुल को उस कार में ले गए और वह चिल्लाता रहा।उसने इस घटना की जानकारी अपनी मां को दी।उनके चाचा नजीर भी वहां आए थे।उन्होंने राहुल को खोजने का प्रयास किया।

(13) पीडब्लू. 4 शरवन कुमार ने स्केल्ड साइट प्लान Ex.PD और Ex.PE तैयार किए।

(14) पी. डब्ल्यू. 8 नजीर ने ब्यान दिया कि 27.03.2013 को, उनके भाई का बेटा, राहुल, दुकान के बाहर खेल रहा था।वह घर में ही था।लगभग 12:23 बजे, उनके भाई साहाबुद्दीन ने उन्हें टेलीफोन पर सूचित किया।

साहबउद्दीन ने उनसे उनके भतीजे राहुल के बारे में पूछताछ की।उसने बताया कि राहुल दुकान के बाहर खेल रहा था।उसके भाई ने उसे बताया कि उसे किसी अनजान व्यक्ति का फोन आया था।उन्हें फिरौती के रूप में 15 लाख रुपये की व्यवस्था करने के लिए कहा गया था।राहुल नहीं मिला।एफ. आई. आर. दर्ज की गई।उसके भाई को उसके मोबाइल पर एक कॉल आया जो एक पंकज द्वारा किया गया था, जिसमें धमकी दी गई थी कि अगर पुलिस को मामले की सूचना दी गई, तो वे राहुल को मार देंगे।कई लोग और पुलिस अधिकारी उनके घर पहुंच गए थे।आरोपी विजय भी भीड़ में खड़ा था। विजय अपने मोबाइल से उन लोगों को फोन कर रहा था और उन्हें स्थिति से अवगत करा रहा था।वे 28.03.2013 को मेरठ गए थे।अपनी प्रतिपरिक्षा में, उसने कहा कि वह आरोपी विजय को व्यक्तिगत रूप से जानता था क्योंकि वह उनके घर के पास रह रहा था।वह अपने भाई और अन्य पुलिस अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे, जहां शव पड़ा था।

(15) पीडब्लू. 9 एस. आई. जमील अहमद ने ब्यान किया कि 31.03.2013 को वह सी. आई. ए., एन. आई. टी. फरीदाबाद में तैनात था।वह जाँच में इंस्पेक्टर संजीव कुमार के साथ जुड़ा हुआ था। आरोपी उस्मान के पास से एक चाकू बरामद हुआ।इसे कब्जे में ले लिया गया।आरोपी पंकज के पास से एक देसी पिस्तौल 315 बोर बरामद हुई।इसे भी कब्जे में ले लिया गया।मृतक की चप्पल भी कब्जे में ले ली गई।

(16) ए. एस. आई. दिलावर सिंह ने बयान दिया कि आरोपी विजय कुमार ने अपनी उपस्थिति में 03.04.2013 को खुलासा बयान दिया, जिसके आधार पर उसे मोबाइल फोन बरामद हुआ।इसे कब्जे में ले लिया गया।

(17) PW.12 उमा शंकर शर्मा ने बयान दिया कि विजय कुमार उनके किरायेदार थे।वह जुलाई, 2011 से उसके घर में रह रहा था।आरोपी विजय पिछले अठारह वर्षों से कॉलोनी में रह रहा था। आरोपी उस्मान और पंकज विजय कुमार के कमरे में जाते रहते थे।

(18) PW.13 संजीत कुमार ने बयान दिया कि वह उत्तर प्रदेश के मेरठ के गाँव कैनोनी में मैसर्स तनु इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम और शैली में एक मोबाइल की दुकान चला रहा था।08.03.2013 को, आरोपी पंकज द्वारा उसकी दुकान से एक सिम खरीदा गया था।सिम जगत पाल शुक्ला के नाम से खरीदा गया था।

(19) PW.14 आर. के. सिंह ने आरोपी विजय कुमार के नाम पर प्रमाणित ग्राहक आवेदन पत्र साबित किया।

(20) PW.15 सुरेंद्र कुमार ने साहाबुद्दीन के नाम पर प्रमाणित ग्राहक आवेदन पत्र साबित किया।

(21) PW.19 हयात सिंह जेठी ने मोबाइल नंबर 84453 26849 के कॉल विवरण की सत्यापित प्रति 08.03.2013 से 29.03.2013 तक Ex. PPL के द्वारा साबित किया ।

प्रमाण पत्र साक्ष्य अधिनियम की धारा 65-बी के तहत Ex.PMM के माध्यम से साबित किया गया था।

(22) PW.20 संजीव कुमार ने बयान दिया कि आरोपी उस्मान ने भोला गाँव के पास गैंग नहर से एक चाकू बरामद किया था।आरोपी पंकज कुमार के पास से एक देसी पिस्तौल 315 बोर बरामद हुई। आरोपी विजय कुमार से पूछताछ की गई।तीनों अभियुक्तों ने घटना स्थल का सीमांकन किया।विजय कुमार ने खुलासा बयान दिया और एक मोबाइल फोन बरामद कराया अपनी प्रतिपरिक्षा में उन्होंने कहा कि जिन झाड़ियों से चाकू बरामद किया गया था, वे सड़क से लगभग 50 मीटर की दूरी पर थी।

(23) PW.24 मोहम्मद शब्बीर ने साहाबुद्दीन और आरोपी के बीच हुई बातचीत की मेमोरी कार्ड से सीडी की तीन प्रतियां तैयार कीं।

(24) PW.27 एस. आई. समसुद्दीन भौतिक गवाह हैं।उन्होंने नजीर का बयान दर्ज किया, Ex.PJ. प्राथमिकी Ex.PW.27/B दर्ज की गई थी।उसने 28.03.2013 को घटनास्थल का निरीक्षण किया। उन्होंने राहुल के छोटे भाई साकिर का बयान दर्ज किया।उसने विजय, पंकज और उस्मान को आरोपी बनाते हुए नजीर का पूरक बयान भी दर्ज किया।उसने बयान दिया कि साहबउद्दीन ने एक सीडी पेश की। इसे कब्जे में ले लिया गया। दिनांक 29—03—2013 को वह एस. आई. तेज राम के साथ मेरठ गए।आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल नंबर तन्नू इलेक्ट्रॉनिक्स, गाँव किनोनी से सक्रिय किया गया था।दुकान के मालिक ने बताया कि मोबाइल नंबर 84453 26849 था।उन्होने अभियुक्तों की तलाश की ।उन्होंने आरोपी उस्मान और पंकज को बागपत चौक, पार्थपुर मोड़ से गिरफ्तार किया। फिरौती के लिए इस्तेमाल किया जा रहा मोबाइल फोन आरोपी पंकज के पास से बरामद किया गया।उस्मान और पंकज ने शव बरामद कराया।खून से लथपथ मिट्टी को भी उठा लिया गया।उ सने 24.04.2013 को मोबाइल नंबर 84453 26849 के कॉल विवरण की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कीं।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने गवाही दी कि वे 29.03.2013 को आधिकारिक वाहन में मेरठ गए थे।

(25) PW.29 तेज राम ने बयान दिया कि मामले की जाँच उ से 29.03.2013 को सौंपी गई थी। उसने संजीत कुमार का बयान दर्ज किया।आरोपी उस्मान और पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया। उस्मान की जेब से एक मोबाइल बरामद करवाया।उस्मान और पंकज ने शव बरामद कर लिया।उन्होंने प्रकटीकरण बयान एक्स पीडब्लू और Ex.PX दिये , जिसके आधार पर चाकू और पिस्तौल बरामद की गई।अपनी प्रतिपरीक्षा में, उन्होंने गवाही दी कि 29.03.2013 पर, वे सुबह 7:30 बजे मेरठ के लिए रवाना हुए। गिरफ्तारी ज्ञापन Ex.D1 और Ex.D2 उसके द्वारा तैयार किए गए थे।

(26) पीडब्लू. 1 साहबउद्दीन ने स्पष्ट रूप से बयान दिया है कि उन्हें मोबाइल फोन नंबर

84453 26849 से एक टेलीफोन कॉल आया था।जिसमे उसके बेटे राहुल की रिहाई के लिए फिरौती की मांग की थी।उन्होंने अपने भाई नजीर से पूछा कि क्या राहुल घर पर हैं।नजीर ने उसे बताया कि राहुल दुकान के सामने अपने छोटे भाई साकिर के साथ खेल रहा था और वह उसके घर गया था।एफ. आई. आर. दर्ज की गई।उन्होंने राहुल की तलाश की लेकिन वह नहीं मिला।वे पुलिस के साथ यू. पी. गए। अपीलकर्ता उस्मान और पंकज को गिरफ्तार कर लिया गया।राहुल का शव बरामद कर लिया गया।PW.27 एस. आई. समसुद्दीन और PW.29 तेज राम के अनुसार, वे 29.03.2013 को यू. पी. की ओर गए थे।पीडब्लू. 1 साहबउद्दीन और पीडब्लू. 8 नजीर अनपढ़ हैं। उनके अनुसार, वे मेरठ (यू. पी.) की ओर 28.03.2013 को गए, लेकिन तथ्य यह है कि वे 29.03.2013 को पुलिस दल के साथ गए थे।अपीलार्थी उस्मान और पंकज के कहने पर चाकू और पिस्तौल बरामद की गई।पी. डब्ल्यू. 2 साकिर ने अदालत में अपीलार्थियों की पहचान की थी।उनके अनुसार, उसने दो अपीलार्थियों को अदालत में बैठे देखा था।अपीलकर्ता विजय ने उसके भाई राहुल को पकड़ लिया और जबरन गाड़ी में खींच लिया।प्रारंभ में, अपीलार्थियों के नामों का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन नजीर के पूरक बयान में, अपीलार्थियों का नाम लिया गया था।यह रिकॉर्ड पर विधिवत साबित होता है कि टेलीफोन कॉल मोबाइल नंबर 84453 26849 से किया गया था। PW.13 संजीत कुमार के बयान के अनुसार, सिम का उपयोग पंकज द्वारा किया जा रहा था, हालांकि अपने चाचा के नाम पर खरीदा गया था।कॉल का विवरण भी प्राप्त किया गया था।आई. एम. ई. आई. संख्या के एक अंक में केवल एक विसंगति अभियोजन पक्ष के मामले को प्रभावित नहीं करेगी, क्योंकि अन्य सभी अंक समान हैं।एक अंक का गलत उल्लेख समय के साथ स्मृति की हानि के कारण हो सकता है।अपीलार्थियों को गिरफ्तार किया गया और इस संबंध में ज्ञापन तैयार किए गए।अपीलार्थी विजय को 01.04.2013 को गिरफ्तार किया गया था।उसने एक मोबाइल फोन बरामद कराया, जिसे मेमो Ex.PZ के माध्यम से पुलिस के कब्जे में ले लिया गया।

(27) फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट, Ex.PB के अनुसार, Ex-1a (पैंट), Ex-1d (अंडरवियर) और Ex-3 (चाकू) पर रक्त का पता चला था।Ex-1 बी (बनियान), Ex-1 सी (टी-शर्ट) और Ex-2 (सूती ऊन के फाहे) पर भी रक्त के धब्बे पाए गए।

(28) पीडब्लू. 3 डॉ. सतीश भास्कर द्वारा 29.03.2013 को पोस्टमॉर्टम किया गया था।पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट Ex.PC है। मृत्यु का कारण पूर्व-पोस्टमार्टम चोट के परिणामस्वरूप सदमे और रक्तस्राव था।

(29) अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थियों के खिलाफ अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित कर दिया है।अपीलकर्ताओं ने फिरौती के लिए 11 साल के युवा लड़के का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी।

(30) हालाँकि, अपीलार्थियों की ओर से पेश विद्वान वकील ने जोरदार तर्क दिया है कि यह मामला दुर्लभ में से दुर्लभतम नहीं है।

और मृत्युदंड को आजीवन कारावास में परिवर्तित किया जा सकता है।

(31) बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य [1] के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोर्डशीप ने स्पष्ट रूप से कहा है कि मृत्युदंड केवल तभी लगाया जाना चाहिए जब आजीवन कारावास का विकल्प पूरी तरह से अपर्याप्त हो, और इसलिए निर्विवाद रूप से बंद कर दिया जाए, अर्थात यदि यह एकमात्र अपरिहार्य निष्कर्ष हो।बिगड़ती परिस्थितियों को भी ध्यान में रखा जाएगा।

(32) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उनके लॉर्डशिप। **सी.**मुनियप्पन और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य [2] ने निर्धारित किया है कि सजा और आनुपातिक विचारों का सामाजिक प्रभाव, जब दुर्लभ से दुर्लभतम का सिद्धांत लागू किया जाना है।उनके लॉर्डशिप्स ने आगे कहा है कि दुर्लभतम मामलों में मौत की सजा दी जा सकती है यदि किसी समुदाय की "सामूहिक अंतरात्मा" इतनी हैरान है कि मौत की सजा ही एकमात्र विकल्प है।"दुर्लभतम मामलों में दुर्लभतम" तब आता है जब दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा होगा। माननीय लार्डशीप ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया है :-

> "87. माछी सिंह बनाम पंजाब राज्य में इस न्यायालय ने बचन सिंह में सूचीबद्ध उत्तेजक कारकों से परे "दुर्लभतम से दुर्लभतम" सूत्रीकरण का विस्तार उन मामलों में किया जहां एक समुदाय की "सामूहिक अंतरात्मा" इतनी हैरान है कि वह न्यायिक शक्तियों के धारकों से अपेक्षा करेगा कि वे मृत्युदंड को बनाए रखने के संबंध में उनकी व्यक्तिगत राय के बावजूद मृत्युदंड दे सकते हैं, और कहा कि इन मामलों में ऐसा दंड लगाया जाना चाहिए।लेकिन इस मामले में पीठ ने इस बात को रेखांकित किया कि किसी मामले में कम करने वाली परिस्थितियों को पूरा महत्व दिया जाना चाहिए और बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों के बीच एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए।न्यायालय ने आगे अभिनिर्धारित किया कि ध्यान में रखे जाने वाले प्रासंगिक कारक अपराध के उद्देश्य, या अपराध करने का तरीका, या अपराध की असामाजिक या घृणित प्रकृति हो सकते हैं, जैसे कि:
>
> (i) हत्या अत्यंत क्रूर तरीके से की जाती है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा हो।
>
> (ii) किसी विशेष जाति, समुदाय या इलाका के व्यक्तियों की बड़ी संख्या में हत्या की जाती है ।

[1] (1980) 2 एस. सी. सी. 684

[2] (2010) 9 एससीसी 567

(iii) एक निर्दोष बच्चे की हत्या; एक असहाय महिला की हत्या की जाती है।

XXX XXX XXX

91 इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि आपराधिक कानून में समाज पर न्यायसंगत सजा न देने के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक प्रकार के आपराधिक आचरण की दोषीता के अनुसार सजा प्रदान करने में आनुपातिकता के नियम का सख्ती से पालन करने की आवश्यकता है।"दुर्लभतम मामला" तब आता है जब एक दोषी समाज के सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए एक खतरा होगा।जहाँ कोई अभियुक्त किसी भी क्षण के उकसावे पर कार्य नहीं करता है और वह जानबूझकर नियोजित अपराध में लिप्त हो जाता है और उसे सावधानीपूर्वक निष्पादित करता है, ऐसे भयानक अपराध के लिए मौत की सजा सबसे उपयुक्त सजा हो सकती है।

92. आजीवन कारावास नियम है और मृत्युदंड एक अपवाद है।इसलिए, अदालत को खुद को संतुष्ट करना चाहिए कि मौत की सजा ही एकमात्र ऐसी सजा होगी जो किसी दोषी को दी जा सकती है।अदालत को इस बात पर विचार करना होगा कि क्या कोई अन्य सजा पूरी तरह से अपर्याप्त होगी और मामले में कम करने वाली और गंभीर परिस्थितियां क्या होंगी।हत्या हमेशा गलत होती है, हालाँकि, क्रूरता, दुष्टता और शैतानी प्रकृति की डिग्री प्रत्येक मामले में भिन्न होती है।जिन परिस्थितियों के तहत हत्याएं होती हैं, वे भी मामले-दर-मामले अलग-अलग होती हैं और उन परिस्थितियों को तय करने के लिए एक स्ट्रैटजैकेट फॉर्मूला नहीं हो सकता है जिनके तहत मौत की सजा दी जानी चाहिए।ऐसे मामलों में, यह न केवल अपराध की प्रकृति है, बल्कि अपराधी की पृष्ठभूमि, उसका मनोविज्ञान, उसकी सामाजिक स्थिति, अपराध करने के लिए उसकी मानसिकता और समाज पर वैकल्पिक सजा लगाने का प्रभाव भी प्रासंगिक कारक हैं।"

(33) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोर्डशीप **रविन्द्र** कुमार पाल **@**दारा सिंह बनाम भारत गणराज्य [3] में मृत्युदंड लागू करने के सिद्धांत समझाया है। माननीय लोर्डशीप ने निम्न अभिनिर्धारित किया है :–

"90. हालांकि निचली अदालत ने दारा सिंह के लिए मौत की सजा सुनाई

---

[3] (2011) 2 एस. सी. सी. 490

(राजीव शर्मा, जे.)

उच्च न्यायालय ने पूरी सामग्री पर विचार करने और यह निष्कर्ष निकालने के बाद कि यह दुर्लभतम मामला नहीं है, मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया।बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य, माची सिंह बनाम पंजाब राज्य और केहर सिंह बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन) में इस न्यायालय के निर्णयों द्वारा मृत्युदंड देने के संबंध में सिद्धांतों को अच्छी तरह से तय किया गया है।उपरोक्त निर्णयों से यह स्पष्ट है कि आई. पी. सी. की धारा 302 के तहत दोषी ठहराए जाने पर, सामान्य नियम आजीवन कारावास और दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम मामलों के लिए सजा देना है।

91. कोई मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामले के अंतर्गत आता है या नहीं, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संदर्भ में जांच की जानी चाहिए और अदालत को उकसाने के साथ-साथ कम करने वाली परिस्थितियों पर ध्यान देना होगा और यह निष्कर्ष निकालना होगा कि क्या अपराध के बारे में कुछ असामान्य था जो आजीवन कारावास की सजा को अपर्याप्त बनाता है और मौत की सजा का आह्वान करता है। हालाँकि, इस अधिनियम को किए हुए 12 साल से अधिक समय बीत चुका है, हमारी राय है कि पहले के पैरा में चर्चा की गई तथ्यात्मक स्थिति को देखते हुए उच्च न्यायालय द्वारा दी गई आजीवन कारावास की सजा को बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है।"

(34) माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोर्डशिप ने मोहम्मद मन्नान @अब्दुल मन्नान बनाम बिहार राज्य [4] ने मृत्युदंड लागू करने के लिए व्यापक दिशा-निर्देश चर्चा की है। माननीय लोर्डशीप ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित किया हैः—

"23. यह सामान्य बात है कि मौत की सजा केवल ऐसे मामले में दी जा सकती है जो दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है, लेकिन इस परेशान करने वाले मुद्दे को तय करने के लिए कोई कठोर और त्वरित नियम और मापदंड नहीं है।इस न्यायालय के पास उन मामलों पर विचार करने का अवसर था जिन्हें दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम कहा जा सकता है और हालांकि इस मुद्दे पर निर्णय लेने के लिए कुछ व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं, लेकिन इस संबंध में सार्वभौमिक अनुप्रयोग का कोई कठोर और त्वरित सूत्र निर्धारित नहीं किया गया है।अपराध इतनी अलग और विशिष्ट परिस्थितियों में किए जाते हैं कि इस मुद्दे को तय करने के लिए व्यापक दिशानिर्देश निर्धारित करना असंभव है।फिर भी यह व्यापक रूप से स्वीकार किया जाता है कि इस प्रश्न का निर्णय लेने में मारे गए व्यक्तियों की संख्या निर्णायक नहीं है।

---

[4] (2011) 5 एस. सी. सी. 317

24. इसके अलावा, अपराध का क्रूर और जघन्य होना ही पैमाने को मौत की सजा की ओर नहीं मोड़ता है।जब अपराध को अत्यंत क्रूर, विचित्र, शैतानी, विद्रोही या कायरतापूर्ण तरीके से किया जाता है ताकि समुदाय में तीव्र और अत्यधिक आक्रोश पैदा किया जा सके और जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा भयभीत हो जाए, तो उसे मौत की सजा की ओर झुकना पड़ता है।लेकिन यह अंत नहीं है।यदि ये कारक मौजूद हैं तो अदालत को यह देखना होगा कि क्या आरोपी समाज के लिए खतरा है और इसके शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण सह-अस्तित्व के लिए खतरा बना रहेगा।अदालत को आगे पूछताछ करनी होगी और यह विश्वास करना होगा कि दोषी ठहराए गए आरोपी को सुधार या पुनर्वास नहीं किया जा सकता है और आपराधिक कृत्यों को जारी रखा जाएगा।इस तरह से बिगड़ती और कम करने वाली परिस्थितियों में मौत की सजा पर विचार करते हुए एक बैलेंस शीट तैयार की जानी चाहिए और एक न्यायसंगत संतुलन बनाया जाना चाहिए।जब तक कानून में मौत की सजा का प्रावधान है और जब समुदाय की सामूहिक अंतरात्मा भयभीत होती है, तो यह उम्मीद की जाती है कि न्यायिक शक्ति के धारक अपनी व्यक्तिगत राय को आहत नहीं करते हैं और मौत की सजा नहीं देते हैं।ये व्यापक दिशा-निर्देश हैं जो इस न्यायालय ने मृत्युदंड लगाने के लिए निर्धारित किए हैं।

25. जब हम जो देखा गया है उसे ध्यान में रखते हुए वर्तमान मामले का परीक्षण करते हैं, तो हमारी राय है कि हाथ में मामला दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है।अपीलार्थी लगभग 43 वर्ष की आयु का एक परिपक्व व्यक्ति है।उन्होंने विश्वास का पद संभाला और एक सुनियोजित और पूर्व नियोजित तरीके से इसका दुरुपयोग किया।उसने लगभग 7 साल की लड़की को सुपारी खरीदने के लिए भेजा और उसके कुछ मिनट बाद अपनी शैतानी और विचित्र इच्छा को पूरा करने के लिए उस दुकान की ओर बढ़ा जहाँ उसे भेजा गया था।लड़की की उम्र लगभग 7 साल पतली और 4 फीट ऊँची थी और ऐसा बच्चा सामान्य स्थिति में वासना पैदा करने में असमर्थ था।अपीलार्थी ने बच्चे का विश्वास जीता था और वह अपीलार्थी की इच्छा को नहीं समझ पाई थी जो इस तथ्य से स्पष्ट होगा कि जब उसे अपीलार्थी द्वारा ले जाया जा रहा था तो कोई विरोध नहीं किया गया था और निर्दोष बच्चे को अपीलार्थी की वासना का शिकार बनाया गया था।

26. पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में बच्चे के चेहरे, नाखूनों और शरीर पर विभिन्न चोटें दिखाई देती हैं।ये चोटें वीभत्स तरीके से उसके साथ बलात्कार किया गया की स्थिति को दर्शाती हैं।

अपराध का शिकार एक निर्दोष बच्चा होता है जिसने एक बहाना भी नहीं दिया, हत्या के लिए उकसाने से बहुत कम।एक छोटे बच्चे के प्रति ऐसी क्रूरता भयावह है।अपीलार्थी इतना नीचे गिर गया था कि निर्दोष, असहाय और रक्षाहीन बच्चे पर अपना राक्षसी स्वभाव छोड़ दिया।इस कृत्य ने निस्संदेह समुदाय के अत्यधिक आक्रोश को आमंत्रित किया था और समाज की सामूहिक अंतरात्मा को चौंका दिया था। शक्ति प्रदत्त प्राधिकारी से अपेक्षा न्यायनिर्णयन का अर्थ मृत्युदंड देना है जो स्वाभाविक है और तर्कसंगंत है. ।हमारी राय है कि अपीलार्थी समाज के लिए एक खतरा है और ऐसा ही बना रहेगा और उसे सुधारा नहीं जा सकता है।हमें इस बात में कोई संदेह नहीं है कि यह मामला दुर्लभतम से दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आता है और निचली अदालत ने सही तरीके से मौत की सजा सुनाई थी जिसकी उच्च न्यायालय ने सही पुष्टि की थी।

(35) शत्रुघ्न चौहान **व** अन्य बनाम भारत संघ **व** अन्य [5], में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के लोर्डशीप ने निम्नलिखित सिद्धांतों को दोहरायाः-

"90. इसलिए, सुनील बत्रा मामले में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि एकांत कारावास, भले ही मामूली रूप से शांत और संशोधित किया गया हो, जेल अधिनियम की धारा 30 द्वारा "मौत की सजा के तहत" कैदियों के लिए स्वीकृत नहीं है।धारा 30 (2) के तहत महत्वपूर्ण अभिनिर्णय यह है कि कोई व्यक्ति "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही सत्र न्यायालय ने उसे उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि के अधीन मौत की सजा सुनाई हो।वह "मौत की सजा के तहत" नहीं है, भले ही उच्च न्यायालय पुष्टि या नए सिरे से अपीलीय दंड द्वारा, मौत की सजा लागू करता है, जब तक कि सर्वोच्च न्यायालय में अपील होने की संभावना है या स्थानांतरित की गई है या लंबित है।भले ही इस न्यायालय ने मृत्युदंड दिया हो, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि धारा 30 में उन्हें तब तक शामिल नहीं किया गया है जब तक कि राज्यपाल और/या संविधान द्वारा अनुमत राष्ट्रपति को दया याचिका का निपटारा नहीं किया गया है।बेशक, एक बार जब राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा खारिज कर दिया जाता है, और आगे के आवेदन पर, अधिकारियों द्वारा फांसी पर कोई रोक नहीं होती है, तो व्यक्ति मौत की सजा के तहत होता है।उस अंतराल के दौरान, वह निर्दिष्ट अभिरक्षा अलगाव को आकर्षित करता है

---

[5] 2014 (3) एस. सी. सी.

धारा 30 (2) में, प्रावधान को सौंपे गए सुधारात्मक अर्थ के अधीन।"मृत्युदंड के तहत" होने का अर्थ है "अंततः निष्पादन योग्य मृत्युदंड के तहत होना"।

91. त्रिवेणीबेन में भी, इस अदालत ने कहा कि एक कैदी को एकांत कारावास में रखना सुनील बत्रा के फैसले के विपरीत है और यह "अतिरिक्त और अलग" सजा देने के बराबर होगा जो कानून द्वारा अधिकृत नहीं है।यह पूरी तरह से दुर्भाग्यपूर्ण है कि न्यायिक पक्ष पर स्थायी निर्णय के बावजूद, प्रावधानों का वास्तविक कार्यान्वयन वास्तविकता से बहुत दूर है।हम इस अवसर पर जेल अधिकारियों से सुनील बत्रा में फैसले के वास्तविक इरादे को समझने और लागू करने का आग्रह करते हैं।"

(36) हमारा विचार है कि यह मामला अपीलार्थियों को मौत की सजा देने के लिए "दुर्लभतम मामलों में से दुर्लभतम" के सिद्धांत के दायरे में नहीं आता है।

(37) नतीजतन, अपीलकर्ताओं पंकज कुमार, उस्मान खान और विजय कुमार, सी. आर. ए.-डी.-235-डी. बी., सी. आर. ए.-डी.-246-डी. बी. और सी. आर. ए.-डी.-363-डी. बी. आफ 2017 द्वारा दायर अपीलों को आंशिक रूप से इस हद तक अनुमति दी जाती है कि अपीलकर्ताओं को आई. पी. सी. की धारा 364-ए., 302 और 120-बी. के तहत दी गई मौत की सजा को आजीवन कारावास में परिवर्तित कर दिया जाता है और प्रत्येक पर 25,000/- का जुर्माना लगाया जाता है।जुर्माने का भुगतान न करने पर, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए साधारण कारावास से गुजरना होगा। अपीलार्थी विजय कुमार को आई. पी. सी. की धारा 201 और 506 के तहत अपराधों के लिए दी गई सजा और अपीलार्थी पंकज कुमार और उस्मान खान को आई. पी. सी. की धारा 201,506 के साथ-साथ शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के तहत अपराधों के लिए दी गई सजा को बरकरार रखा गया है। हत्या संदर्भ संख्या 4 आफ 2017 का उत्तर तदनुसार दिया गया है।

Surinder Singh, Translator

स्पष्टीकरणः– स्थानीय भाषा में अनुवादित निणर्य वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नही किया जा सकता है। सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए लिए निर्णय का अग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यानवयन के उद्देष्य के लिए उपयुक्त होगा।